


अदालत उपखण्ड अधिकारी सेड़वा व मुकाम सेड़वा

सबाईराम

बनाम सामायाम कौरा

किस्म मुकदमा... राजस्व वाद..... मुकदमा नम्बर... 158...../20 24

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/11/24	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री <u>करताराम कडवासर</u> यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>53, 198 RT Act</u> राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>15/01/2025</u> को पेश हो</p>	
11/12/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। वादी स्वयं उपस्थित। वादी ने प्रार्थना पत्र वास्तु पत्रावली तलब करवाने वास्ते पेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवान का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचारधीन है, जिसकी भागाभी पेशी तारीख 15/01/2025 मुकदमा है। उक्त प्रकरण को आज पेशी पर लेने का अदेश फरमावे। वादी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली गई। वादी ने प्रार्थना पत्र वास्तु वाद विद्वा करने वास्तु पेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवान के प्रकरण में हम पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से लोक अदालत की भावना से सम्झौता हो गया है। अब हम उक्त वाद में आप कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः निवेदन है कि उक्त अनवान के प्रकरण को जरिये रजिनामा विद्वा फरमावे। वादी का प्रार्थना पत्र वास्तु राजस्व वाद को विद्वा</p>	<p> पक्षालकर्ता <u>मध्य</u></p>



करने बाबर को न्यायद्वारा में स्वीकार किया जाता है  
अब भन्वान के प्रकरण की कारिवाही उसी स्तर पर  
समाप्त की जाती है। फावली कैसल शुमार होकर  
दाखिल दफतर हो। संख्या से एक कम है।



अ/र

सेवामें